न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 569/2023

अनवान : –

1. सज्जन कुमार पुत्र बेगराज जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. रोहिताश कुमार पुत्र बेगराज जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. कमला देवी पुत्री बेगराज जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. किरसना देवी पुत्री बेगराज जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. धापा देवी पुत्री बेगराज जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
4. मोहरा देवी पुत्री बेगराज जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
5. विमला पुत्री बेगराज जाति जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
6. परमेश्वरी देवी पत्नी बेगराज जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
7. रेशनी देवी पुत्री सोना पुत्री बेगराज जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
8. शकुन्तला पुत्री सोना पुत्री बेगराज जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
9. विनोद कुमार पुत्र सोना पुत्री बेगराज जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः -12/03/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 34/29 की कुल 7.845 हैक्ट भूमि मे से 1/48 हिस्सा भूमि, रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 95/88 की कुल 0.7590 हैक्ट एवं रोही मौजा चक 10 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 75/75 की कुल 5.3130 हैक्ट भूमि में से 1/48 हिस्सा भूमि बेगराज पुत्र मानाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान में बेगराज पुत्र मानाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादीगण का पिता है। बेगराज पुत्र मानाराम का देहान्त हो चुका है। बेगराज पुत्र मानाराम के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगा संख्या 1 ता 9 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग उक्त भूमि पर वादीगण बहिब काबिज है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 9 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र बेगराज, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता बेगराज के नाम दर्ज है बेगराज पुत्र मानाराम का देहान्त हो चुका है। बेगराज पुत्र मानाराम के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगा संख्या 1 ता 9 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि पर वादीगण बहिब काबिज है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या [illegible]/29 की कुल 7.845 हैक्ट भूमि मे से 1/48 हिस्सा भूमि, रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 95/88 की कुल 0.7590 हैक्ट एवं रोही मौजा चक 10 केएनएन तहसील नोहर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:08 IST
Reason: SelfAttested

Q।
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 75/75 की कुल 5.3130 हैक्ट भूमि में से 1/48 हिस्सा भूमि बेगराज पुत्र मानाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार बेगराज पुत्र मानाराम के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 34/29 की कुल 7.845 हैक्ट भूमि मे से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 95/88 की कुल 0.7590 हैक्ट एवं रोही मौजा चक 10 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 75/75 की कुल 5. 3130 हैक्ट भूमि में से 1/48 हिस्सा भूमि में मृतक बेगराज पुत्र मानाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:08 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 569 / 2023

अनवान : –

1. सज्जन कुमार पुत्र बेगराज जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. रोहिताश कुमार पुत्र बेगराज जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. कमला देवी पुत्री बेगराज जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. किरसना देवी पुत्री बेगराज जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. धापा देवी पुत्री बेगराज जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
4. मोहरा देवी पुत्री बेगराज जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
5. विमला पुत्री बेगराज जाति जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
6. परमेश्वरी देवी पत्नी बेगराज जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
7. रेशनी देवी पुत्री सोना पुत्री बेगराज जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
8. शकुन्तला पुत्री सोना पुत्री बेगराज जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
9. विनोद कुमार पुत्र सोना पुत्री बेगराज जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 569 सन 2023 निर्णय दिनांक – 12/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 34 / 29 की कुल 7.845 हैक्ट भूमि मे से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 95 / 88 की कुल 0.7590 हैक्ट एवं रोही मौजा चक 10 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 75 / 75 की कुल 5.3130 हैक्ट भूमि में से 1 / 48 हिस्सा भूमि में मृतक बेगराज पुत्र मानाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/03/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:08 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर